FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत ...... बायतु ...... मुकाम ......

...... मगाराम ...... बनाम ...... केसी देवी कोर ......

किस्म मुकदमा ...... रा० वाद० 251 ए RTAct नं ...... 64/19 ...... सन् 2019 ......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...... पूनमाराम चौधरी ...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...... 251 ए RTAct ...... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/03/19 ...... को पेश हो।	[signature]
11/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थियों के नोटिस तामिल हस्ब तामिल अप्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/05/19 को पेश हो/ [signature]	
27/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थियों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/06/19 को पेश हो/ [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

18/06/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थी वकील जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बावत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विप्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के विशाल डोचर डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/19 को पेश हो।

24/06/19 प्रकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/07/19 को पेश हो।

29/07/19 प्रकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/08/19 को पेश हो।

14/08/19 प्रकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं पूर्व में अंतिम अवसर दिया [illegible] Cost पर एक और अवसर दिया [illegible] दिनांक 27/08/19 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/08/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/09/19 को पेश हो।	
09/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 22/10/19 को पेश हो।	
22/10/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षीगण संख्या- 1 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षीगण का जवाब का वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने का बन्द किया जाता है व मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 04/11/19 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
04/11/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 25/11/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/11/19	पुकार करीबैन उपस्थित / तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 09/12/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
09/12/19	पुकार करीबैन उपस्थित / तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विपक्षी वकील द्वारा मूल आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया / अतः पत्रावली दिनांक 11/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
11/02/2020	पुकार करीबैन उपस्थित / विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, अर्जित पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब व मौका रिपोर्ट बहस हेतु दिनांक 19/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
19.2.2020	पुकार करीबैन उपस्थित / विपक्षीगण संख्या-1 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया / तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अतः वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 03/03/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

...ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/03/2020	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास 3.3.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 64/2019 दिनांक :– 03.03.2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मगाराम पुत्र सादुलाराम जाति जाट निवासी टांकेलियासर, तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. केसीदेवी पुत्री चूनाराम पुत्र वधु शिवजीराम 2. निम्बाराम पुत्र सोनाराम 3. मेहाराम पुत्र सोनाराम 4. गुणेशाराम पुत्र सोनाराम 5. बाबुलाल पुत्र सोनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–टांकेलियासर, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता विप्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 40.10 बीघा ग्राम टांकेलियासर पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 499/266 व 477/266 में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग की ओर से वकालातनामा पेश किया गया। विप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका र्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की ई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 477/266 व 499/266 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा तारबंदी करके रास्ता बंद किया हुआ है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में लाल रंग से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00.09 बीघा है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 477/266 व 499/266 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट, अनुसार 00.09 बीघा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 265 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टांकेलियासर पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खसरा नम्बर 477/266 व 499/266 में से होकर खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बायतु
2020

क पहुंचने हेतु 00.04 बीघा व 00.05 बीघा कुल 00.09 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट में ये अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 182304/– व 145883/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 00.09 बीघा की राशि 72922 + 72942 = 145864/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 145864/– नियमानुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को भुगतान करें।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

3.3.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested